वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग—4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता उपमंडल अभियंता, दूरसंचार परियोजना रायपुर छ.ग द्वारा राईट—ऑफ—वे के अंतर्गत दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल के कोण्डागांव/अमरावती/मुलमुला/दहींकोंगा/माकड़ी परिक्षेत्र के ग्राम घोड़ागांव से कोण्डागांव एवं कोण्डागांव से माकड़ी तथा माकड़ी से छतोड़ी तक ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु आरंक्षित वन/सरंक्षित वन/नारंगी वन एवं राजस्व वन भूमि में से रकबा 2.181 हे. वन भूमि में गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर के अभिमत से सहमत होते हुए आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 2.181 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 11/07/2023
स्थान: अरण्य भवन, नवा रायपुर

11/7

(व्ही. श्रीनिवास राव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, रायपुर
Principal Chief Conservator of Forests,
Chhattisgarh, Raipur

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर—19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर—492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक — भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 — 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध–ए/115–859//1638 रायपुर, दिनांक 12/07/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव
छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर
नवा रायपुर

विषय :— **Diversion of Forest land for non-forest Purpose under Forest Conservation Act 1980 Proposed for Diversion land of OFC Bharat Sanchar Nigam Limited - South Kondagoan Division, Provide high Speed Connectivity in LWE and will help in implementing the central Govt. scheme under digital India program in chhattisgarh Area - 2.181 ha. regarding**
पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/OFC/44214/2020

संदर्भः— मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त, कांकेर का पत्र क्रमांक /मा.चि/ 2023/1997 दिनांक 15.06.2023

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आवेदनकर्ता उपमंडल अभियंता, दूरसंचार परियोजना रायपुर छ.ग द्वारा राईट–ऑफ–वे के अंतर्गत दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल के कोण्डागांव/अमरावती/मुलमुला/दहींकोंगा/माकड़ी परिक्षेत्र के ग्राम घोड़ागांव से कोण्डागांव एवं कोण्डागांव से माकड़ी तथा माकड़ी से छतोड़ी तक ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु आरंक्षित वन/सरंक्षित वन/नारंगी वन एवं राजस्व वन भूमि में से रकबा 2.181 हे. वन भूमि में गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा निर्धारित प्रपत्र–3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है:—

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्र
1.	**आवेदक विभाग का मांग पत्र**— आवेदनकर्ता उपमंडल अभियंता, दूरसंचार परियोजना रायपुर छ.ग द्वारा राईट–ऑफ–वे के तहत दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल अंतर्गत ग्राम घोडागांव से कोण्डागांव एवं कोण्डागांव से माकड़ी तथा माकड़ी से छतोड़ी तक ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु आरंक्षित वन/सरंक्षित वन/नारंगी वन एवं राजस्व वन भूमि में से रकबा 2.181 हे. वन भूमि की मांग की गई है।	1–3
2.	**रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रतिः**— प्रस्ताव का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक **FP/CG/OFC/44214/2020** आबंटित किया गया है।	4
3.	**वन क्षेत्र का विवरणः**— आवेदनकर्ता उपमंडल अभियंता, दूरसंचार परियोजना रायपुर छ.ग द्वारा राईट–ऑफ–वे के अंतर्गत दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल में ग्राम घोड़ागांव से कोण्डागांव एवं कोण्डागांव से माकड़ी तथा माकड़ी से छतोड़ी तक ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु आरंक्षित वन/सरंक्षित वन/नारंगी वन भूमि में से रकबा 2.033 हे. एवं राजस्व वन भूमि में से रकबा 0.148 हे. कुल रकबा 2.181 हे. वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित है।	5
4.	**गैर वन क्षेत्र विवरणः**— आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य में गैर वन भूमि की आवश्यकता नहीं है।	6
5.	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल परः**— प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का 1:50000 स्केल का मानचित्र संलग्न है।	7—13

6.	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप:**— प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा जारी वन आवरण मानचित्र संलग्न है।	14—23
7.	**प्रपत्र—4 में प्रस्ताव:**— प्रपत्र 04 में ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु परियोजना की लागत 20 करोड़ बतायी गई है। आवेदक संस्थान ने कथन किया गया है, कि ऑप्टिकल फाईबर लाईन केबल लाईन बिछाने से मोबाईल नेटवर्क कनेक्टिविटी का विस्तार एवं सुदृढीकरण से एल.डब्ल्यू.ई क्षेत्रो में इंटेलिजेंस, मॉनिटरिंग, शिक्षा, चिकित्सा तथा रोजगार सृजन के अवसर में वृद्धि होकर उस क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास भी होगा।	24—32
8.	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप:**— दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल के कोण्डागांव/अमरावती/मुलमुला/दहींकोंगा/माकड़ी परिक्षेत्र अंतर्गत आरक्षित/संरक्षित/नारंगी वन भूमि रकबा 2.033 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.148 हे कुल **रकबा 2.181 हे.** में ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। कोण्डागांव जिले में मोबाईल नेटवर्क कनेक्टिविटी का विस्तार एवं सुदृढीकरण से एल.डब्ल्यू.ई क्षेत्रो में इंटेलिजेंस, मॉनिटरिंग, शिक्षा, चिकित्सा तथा रोजगार सृजन के अवसर में वृद्धि होकर उस क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास भी होगा, इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में पदस्थ सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बलों तथा पुलिस के जवानों में पारस्परिक संवाद, सुविधा एवं आपात स्थिति में त्वरित सहायता, उपलब्ध होगी, जिससे कि उग्रवाद के विस्तार में अंकुश लगेगा। साथ ही हमारे जवानों के जीवन रक्षा में अत्यंत सहयोगी होगा।	33
9.	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र:**— आवेदनकर्ता उपमंडल अभियंता, दूरसंचार परियोजना रायपुर छ.ग द्वारा राईट—ऑफ—वे के अंतर्गत दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल में ग्राम घोडागांव से कोण्डागांव एवं कोण्डागांव से माकड़ी तथा माकड़ी से छतोड़ी तक ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु आरंक्षित वन/सरंक्षित वन/नारंगी वन भूमि में से रकबा 2.033 हे. एवं राजस्व वन भूमि में से रकबा 0.148 हे. कुल रकबा 2.181 हे. वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित है। उक्त प्रकरण में मांग की गई वन भूमि आवश्यक एवं न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।	34
10.	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही:**— इस परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है।	35
11.	**वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा:**— दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल के कोण्डागांव/अमरावती/मुलमुला/दहींकोंगा/माकड़ी परिक्षेत्र अंतर्गत आरक्षित/संरक्षित/नारंगी वन भूमि रकबा 2.033 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.148 हे कुल **रकबा 2.181 हे.** में ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु भाग – II पर प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है जो परियोजनाओं के लिये अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।	36—50
12.	**ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र:**— प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहा है।	51
13.	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र**— ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के संबंधित ग्राम पंचायत बड़ेघोउसोड़ा/अमरावती/बिजोली/ शामपूर/भारागांव/छोटेसलना का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	52—58
14.	**जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में:**— दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल अंतर्गत कोण्डागांव जिले की कुल वन भूमि 408407.700 हेक्टेयर है।	59
15.	**व.स.अ.—1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में:**— कोण्डागांव जिले के दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् स्वीकृत रकबा 691.304 हेक्टेयर प्रभावित हो रही है।	60

16.	**व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में:–** व.स.अ.–1980 तहत कोण्डागांव जिले के दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल के अंतर्गत अंतर्गत इसी श्रेणी के इसी श्रेणी की कुल 7.315 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है।	61
17.	**प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र कमांक/ एफ–5–20/2007/10–2 दिनांक 12/01/2010):–** प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान वन्यप्राणी अभ्यारण्य या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/ मूर्ति स्थापित नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, दक्षिण कोण्डागांव एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।	62
18.	**वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र कमांक/F.No. 11–9/1998 दिनांक 03/08/2009):–** आवेदित क्षेत्र के लिये भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 26.02.2019 के अनुसार ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में वितरित वन अधिकार मान्यता पत्र निर्धारित प्रदर्श–"स" में कलेक्टर जिला कोण्डागांव द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 03.05.2020 एवं दिनांक 31.03.2023 संलग्न है।	63–72
19.	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र कमांक भू–प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):–** प्रस्ताव में रकबा 0.007 हे. राजस्व वन भूमि सम्मिलित है। राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर कोण्डागांव के पत्र क्रमांक / 265/कले./भू.अ/रा.नि/2023 दिनांक 31.03.2023 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है। जो प्रस्ताव में संलग्न है।	73–77
20.	**पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र कमांक/एफ–7–22/2009/10–2 दिनांक 31/07/2009):–** आवदेक संस्थान द्वारा पंजीयन शुल्क राशि 6,000/– रूपये डी.डी. क्रमांक 713071 दिनांक 21. 9.2020 एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि 18,000/– रूपये डी.डी.क्रमांक 062936 दिनांक 24.9. 2020 इस प्रकार कुल राशि 24,000/– रूपये वनमंडलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल कार्यालय में जमा किया गया है, जिसे चालान नं –09 एवं 10 दिनांक 7.12.2020 के माध्यम से पी.डी.खाते में जमा की गई है।	78
21.	**राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा:–** आवेदित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कॉरीडोर स्थित नहीं होने के कारण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।	79

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ का अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 03 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–
1. प्रस्ताव 03 प्रति में
2. संदर्भित पत्र की छाया प्रति
3. भाग–4
4. टाईम लाईन

(प्र.मु.व.स. द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध /व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/भू–प्रबंध/विविध–ए/115–859/ 1689 रायपुर, दिनांक 12/07/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी**, दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल, कोण्डागांव, छत्तीसगढ़।
3. **Sub Divisional Engineer,** BSNL, C-18, BSNL Colony, Khamardih Raipur, Civil Line Raipur, CG.

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़